

11/8/17
(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3(20)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/

Dated:

Corrigendum

No.F3(20)/Fin(Rev-I)/2017-18/- In the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Finance Department (Revenue-I), No.1/2017 – State Tax, dated 30th June, 2017, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part-IV, vide No.F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated 30th June, 2017 :

1. In the Schedule - I – 2.5%, in S.No.180, for the entry in column (2) “30” relating to “Drugs or medicines including their salts and esters and diagnostic test kits, specified in List 1 appended to this Schedule”, to be read as “30 or any Chapter”.
2. In the Schedule - III – 9%, in S.No.42, the entry in column (3) i.e. “Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be used as fertilizers” to be read as “Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, which are clearly not to be used as fertilizers”.
3. In the Schedule – III – 9%, S.No.411, in column (3) i.e. “Spectacles [other than corrective]; goggles and the like, corrective, protective or other” to be read as “Spectacles [other than corrective]”.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(A.K. Singh)

Dy. Secretary VI (Finance)

Dated: 31/7/17

No.F3(20)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 480

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
5. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
10. Guard File.

(A.K. Singh)

Dy. Secretary VI (Finance)

(दिल्ली राजपत्र, भाग 4, असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त(राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं0फा0 03(20)/वित्त(राज0-1)/2017-18/ डीएस-VI/ ५४०

दिनांक: 31/7/17

शुद्धिपत्र

सं0फा0 03(20)/वित्त(राज0-1)/2017-18 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं01/2017 राज्यकर दिनांक 30.06.2017, जो कि दिल्ली राजपत्र, भाग 4, असाधारण में सं0फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/382 द्वारा दिनांक 30.06.2017 को प्रकाशित, में

1. अनुसूचि I - 2.5%, कम सं0.180, कॉलम-2 "30" प्रविष्टि जो कि " औषध या औषधियां, जिसमें उनके लवण और ईस्टर हैं, और नैदानिक परीक्षण किट, इस अनुसूची में उपाबद्ध सूची 1 में विनिर्दिष्ट" है, के स्थान पर " 30 या कोई अध्याय पढ़ें "।
2. अनुसूचि III - 9%, कम सं0.-42, कॉलम-(3) की प्रविष्टि जो कि " खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, उनसे भिन्न जो उर्वरक के रूप में स्पष्टतया प्रयोग नहीं किए जाते हैं, के स्थान पर " खनिज या रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, जो उर्वरक के रूप में स्पष्टतया प्रयोग नहीं किए जाते हैं" पढ़ा जाए।
3. अनुसूचि III - 9%, कम सं0.-411 कॉलम-(3) जो कि " चश्में (संशोधक के अलावा), धूप के चश्में या उसकी प्रकार की वस्तुएं, संशोधक, संरक्षक या अन्य " है, के स्थान पर " चश्में (संशोधक के अलावा)" पढ़ा जाए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(ए0 के0 सिंह)
उप-सचिव -VI (वित्त)

सं0फा03 0(20)/ वित्त)राज/18-2017/(1-0डीएस-VI/ 480

दिनांक : 31/7/17

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
5. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
7. नि.स. नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
10. गार्ड फाइल ।

(ए0 के0 सिंह)
उप-सचिव -VI (वित्त)